Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में बैंकिंग व्यवस्था सुझाव एवं सिफारिशें

डॉ. अरूणा पाठक*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी देश का वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बैंक वित्तीय क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं। बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। एक ओर, वे उन लोगों से धन एकत्र करते हैं जिनके पास अधिशेष धान होता है और दूसरी ओर वे इन निधियों को उन निवेशकों को प्रदान करते हैं जो उद्यमी, फर्म और कंपनियां हैं।

एक विकसित बैंकिंग क्षेत्र इस कार्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करता है। आधुनिक विश्व में यह देखा जा सकता है कि केवल वे देश तेजी से विकसित हुए हैं जिनके पास सामान्य रूप से एक कुशल वित्तीय क्षेत्र और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र था। यह न केवल आज का बल्कि अतीत में भी सच है। अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न क्षेत्रों का विकास मुख्य रूप से बैंकों से ऋण के प्रवाह पर निर्भर करता है। यह अनुभव किया गया है कि जिन क्षेत्रों की बैंक ऋण तक आसान पहुंच है, वे उन क्षेत्रों की तुलना में तेजी से विकसित होते हैं जिनके पास ऐसी पहुंच नहीं है चूंकि बैंक वाणिज्यिक उद्यम हैं, इसलिए उनमें उन पार्टियों को अपना ऋण उपलब्ध कराने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता है कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इतने फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार या तो सीधो या देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों को अपना ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश देती है। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र कहा जा सकता है। वर्तमान अध्ययन का फोकस भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का विश्लेषण करने पर है। यद्यपि इस विशिष्ट मुद्दे पर आने से पहले, भारत में बैंकिंग के विकास और इसकी वर्तमान स्थिति का परिचय आवश्यक है।

यद्यपि बैंक प्राचीन काल में भी मौजूद थे, उनके विकास का पता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के विकास में लगाया जा सकता है और बैंकिंग के आधुनिक पैटर्न का पता पंद्रहवीं शताब्दी में लगाया जा सकता है, इटली में बंका मोंटे देई पासची डि सिएना (1472), रिक्स बैंक स्वीडन (1668) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (1694) में। इसके बाद बैंकों का विकास पूरे यूरोप, यू.एस. और यूरोपीय देशों के अन्य उपनिवेशों में फैल गया। भारत में साहूकारी प्रथा प्राचीन काल में भी मौजूद थी लेकिन बैंकों के आधुनिक रूप के विकास का श्रेय ब्रिटिश शासन की स्थापना को दिया जाता है। भारत में बैंकिंग के इन शुरुआती दिनों से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली विभिन्न प्रकार के बैंकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। देश में लगभग 18,000 बैंक शाखाएँ हैं जिनके पास बैंक प्रबंधन के सभी आधुनिक साधन हैं। ऐतिहासिक रूप से बदलते बैंकिंग परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए समयावधि को चार चरणों में विभाजित किया गया है। ये 1969 और 1991 भारत में बैंकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1969 वह वर्ष है जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसने 80 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग को सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मुख्य कारण बैंकिंग क्षेत्र को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना था। इस घटना में प्राथमिकता क्षेत्र की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। 1991 न केवल बैंकिंग क्षेत्र के लिए बल्कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जब बैंकिंग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार शुरू किए गए, जिसने भारत में बैंकिंग को एक नया अभिविन्यास दिया है।

सुझाव और सिफारिशें – विश्व भर में, और भारत में भी बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों ने नीतिगत उपायों के सहारे, कोविड-19 से जुड़े व्यवधानों का अच्छी तरह से सामना किया है। जैसे-जैसे आर्थिक वृद्धि में गति आएगी एवं नीतिगत कार्यवाहियों को वापस लिया जाएगा, बैंकों की बैलेंस शीटों पर महामारी का प्रभाव और स्पष्ट होगा। जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवोन्मेश इस क्षेत्र के लिए मध्यावधि हैं जिनको दूर करने के लिए सुविचारित रणनीतियों की आवश्यकता है।

1. छोटे किसानों के वित्तीय समावेशन के लिए कृषि क्षेत्र के अग्रिमों के भीतर उनके लिए एक उप लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में नायर समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि 2020-21 तक कृषि क्षेत्र के एएनबीसी का 9 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अग्रिम लागू किया जाना चाहिए।
2. वित्तीय उपलब्धता की समस्याओं का तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में भी नायर समिति ने सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के लिए एएनबीसी का 9 प्रतिशत 2020-21 तक हासिल किया जाना चाहिए।
3. निजी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशी बैंकों को भी अपना बड़ा हिस्सा देना चाहिए पीएस को ऋण विदेशी बैंकों के लिए भी उप-क्षेत्रीय लक्ष्यों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. महंगाई, उत्पादन लागत आदि को ध्यान में रखते हुए पीएस लक्ष्यों को हर 3 साल में संशोधित किया जाना चाहिए।
5. बैंक महिला उद्यमियों और अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी कर्ज दें

और इसे पीएसएल का हिस्सा बनाया जाए।

6. 2011 से 2021 तक, एनपीए प्रतिशत में गिरावट आई है जो 2015 में बहुत उच्च स्तर पर थी। वर्तमान में एनपीए प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अभी भी टिकाऊ नहीं है। ऋण आवेदनों के बेहतर मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा अभी भी एनपीए प्रतिशत को कम करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के एनपीए को और कम करने पर ही बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक ऋण देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
7. बैंक के प्रबंधन को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों को उधार देने की कला में अधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें पीएसए के मोचन में अपने कौशल का उन्नयन करना चाहिए।
8. सभी संभावित केंद्रों में विशिष्ट शाखाएं स्थापित की जानी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति और बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए।
9. ऋण सुविधा प्रदान करने से पहले उधारकर्ताओं की उधार लेने की क्षमता को अंतिम रूप देने के लिए बैंकों में विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्राहकों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करेगी और क्रेडिट की समय पर डिलीवरी पर जोर देगी।
10. स्वीकृत निधि की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए, यह प्रक्रिया तीन महीने में कम से कम एक बार की जानी चाहिए ताकि एनपीए में परिवर्तित होने वाले किसी भी खाते की ठीक से पहचान की जा सके और उसका हिसाब लगाया जा सके।
11. समय पर ऋणों की वसूली के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग एनपीए वसूली विभाग बनाया जाना चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और जो अधिकारी सक्रिय रूप से एनपीए की वसूली कर रहे हैं उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
12. विलफुल डिफॉल्टरों की सूची सेबी और आरबीआई को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार तक पहुंच से रोका जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक को जहां कहीं आवश्यक हो, बैंकरों को कानूनी कार्रवाई सहित कानूनी उपाय शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए।
13. कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्योग के क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण की निगरानी में नाबार्ड और सिडबी की भूमिका को बढ़ाकर एनपीए की वृद्धि कुछ हद तक कम हो सकती है।
14. पीएसए के उधार और वसूली की निगरानी के लिए नाबार्ड और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।
15. कमजोर वर्गों को उधार देने में एनपीए को निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों दोनों में नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह 2015–16 में उच्च है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शुक्ल, डॉ. एस.एम. एवं सहाय, डॉ. शिवपूजन, (2011)सांख्यिकी के सिद्धान्त, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. शर्मा, डॉ. हरिश चन्द्र, (2011) बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, एसबीपीडी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा,
3. सिन्हा, डॉ. वी.सी., (2013) भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
4. मिठानी, गॉर्डन, (2001) बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
5. मुजुमदार, एनए, (2003) वित्तीय क्षेत्र और भारत का आर्थिक विकास, खंड I और खंड II, अकादमिक फाउंडेशन, दिल्ली।
6. डोनाल्ड मैल्कम और पायने एड्रियन, (1996) के लिए विपणन योजना सर्विसेज, बटरवर्थ हेनमैन लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड।
7. देसाई वसंत, बैंक प्रबंधन के सिद्धांत (सिद्धांत, योजना और प्रोग्रामिंग), हिमालय पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे 1993।
8. डेविड बी.जेनॉफ,(1989) मार्केटिंग वित्तीय सेवाएं, बॉलिंगर प्रकाशन कंपनी, मैसाचुसेट्स।
9. दश आशुतोष, (2002) वित्तीय सेवाओं का विपणन– एक रणनीतिक दृष्टिकोण– वित्तीय सेवाएं (पाठ, मामले, रणनीतियाँ।) गहरा और गहरा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।

****